न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 31/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/63

निर्णय दिनांक 23.9.2024

दिलबागसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ 2. नाथूराम 3. सतबीर पुत्रगण मानसिंह जातियान जाट निवासीगण बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा) 4. कमलेश पत्नी स्वर्गीय महेन्द्र 5. अमित कुमार पुत्र महेन्द्र जातियान जाट निवासीगण निवासीगण बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक वादी
2. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तूत है कि वादी बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा) का स्थायी निवासी है। वादी का संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 69 तादादी 7.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा अवस्थित है। जमाबंदी में वादी का नाम लीलाराम पुत्र मानसिंह अंकित है। वादगत कृषि भूमि वादी के पिता मानसिंह की मृत्यु के उपरान्त वादी को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरणकरण संख्या 09/05.10.2007 के द्वारा वादी को प्राप्त हुई है। उपरोक्त नामान्तरणकरण के समय वादी को घरेलू बोल चाल में लीलाराम कहते थे इसलिए वादी का नाम लीलाराम अंकित कर दिया गया। वादी का वास्तविक नाम दिलबागसिंह पुत्र मानसिंह है। जमाबंदी में लीलाराम होने से नाम की भिन्नता के चलते वादी को उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के सुधार के लिए के.सी.सी. बनवाने हेतु काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजो में वादी का नाम दिलबागसिंह अंकित है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया है इस बाबत वादी दिनांक 25.01.2023 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि जिस पर प्रतिवादी ने वादी का सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नही है। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम दिलबागसिंह दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को वादी को वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नही करने से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतू हासिल है। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार है राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन यह दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोंष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तूत कर न्यायालय श्रीमान की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है। गौण प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:55:02 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 2 ता 5 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है उनसे किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वादगत खेत रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 69 तादादी 7.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम लीलाराम की जगह दिलबागसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से PW-1 में दिलबागसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श—01 से प्रदर्श—10 करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 69 तादादी 7.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम लीलाराम की जगह दिलबागसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:55:02 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

दिलबागसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़ 2. नाथूराम 3. सतबीर पुत्रगण मानसिंह जातियान जाट निवासीगण बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा) 4. कमलेश पत्नी स्वर्गीय महेन्द्र 5. अमित कुमार पुत्र महेन्द्र जातियान जाट निवासीगण निवासीगण बड़द नई तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)

—प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 31/2023

दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः २३.९.२०२४

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कताई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 69 तादादी 7.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम लीलाराम की जगह दिलबागसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक २३ माह ०९ सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.26 17:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)